कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय—आदेश ::—

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा—2015), वेतन पे मैट्रिक्स लेवल—12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ—15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांकः 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में **विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां पूर्ववत पूर्णत अस्थाई एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन सिविल अपील संख्या 1464—1466/2017 के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन** नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में **पूर्णत अस्थाई (TEMPORARY) आधार** पर नियुक्तियां प्रदान की गई थी। निम्नांकित प्राध्यापकों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 05 (vi & vii) एवं अनुसूची 1 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 08 में अंकित दिनांक से वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स लेवल—12 पर एतद्दवारा नियमित वेतन स्वीकृत किया जाता है। **नियमित वेतन (वेतन स्थिरीकरण) की स्वीकृति निम्नांकित कार्मिकों के नियमितीकरण एवं स्थाईकरण का आधार नही होगी।** उक्त स्वीकृति कार्मिक (क—2) विभाग के क्रमांक प. 7(2) कार्मिक/क—2/2015 पार्ट जयपुर, दिनांक 09.11.2020 के अनुसरण में जारी की गई है।

क्र सं	वर्ग	मेरिट क्रमांक	प्राध्यापक नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/रावाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SB	0	Priyanka, Sefraguwar (Jhunjhunun)	भौतिक	01/07/1994	28—06—17	28—06—2019
2	SB	0	Ajaypal, Suwaniya (Chittaurgarh)	गणित	07/07/1976	04—11—16 मध्याहन् पश्चात्	05—11—2018
3	SB	0	Hemlata Gocher, girls Mangalpura (Jhalawar)	गणित	11/04/1984	26—10—16 मध्याहन् पश्चात्	27—10—2018
4	SB	0	Matadeen Gurjar, Charawas (Jhunjhunun)	गणित	03/07/1983	19—10—16 मध्याहन् पश्चात्	20—10—2018
5	SB	0	Omprakash Gurjar, Khandela (Sikar)	गणित	01/08/1988	22—10—16	22—10—2018

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमाकः—शिविरा/मा/संस्था/सी—3/भौगक्/पीएससी—15/एसबीसी/वेतन श्रृंखला/20—21/ दिनांकः 26.02.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संबंधित संभाग।
2. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/ संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
4. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक।
5. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एवी/ओएसी प्रभाग।
6. सिस्टम एनेलैस्सिट कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बावत् ।
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक– शिविरा–माध्य/संस्था/सी–3/भौगकृ/भौतिक/स्थानान्तरण/2020–21 दिनांकः 04.01.2021 के तहत श्री नन्दकिशोर बिजारणियां, व्याख्याता, भौतिक विज्ञान का स्थानान्तरण SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, LADNUN, NAGAUR (225408) से SHAHEED KALYAN SINGH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHOOD, SIKAR (213305) किया गया। उक्त आदेश के विरूद्व श्री नन्दकिशोर बिजारणियां द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 683/2021 नन्दकिशोर बिजारणियां बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 683/2021 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2021 की पालना में श्री नन्दकिशोर बिजारणियां व्याख्याता, भौतिक विज्ञान को SHAHEED KALYAN SINGH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHOOD, SIKAR (213305) में कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। संबंधित संस्था प्रधान उक्त कार्मिक को माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवा कर इस कार्यालय को अवगत करावें। **उक्त पदस्थापन/समायोजन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगे।**

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य संस्था/सी–3/भौगकृ/नन्दकिशोर बिजारणियां/683/2020–21 दिनांकः– 25/02/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक,माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार),प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
2. सयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रतिनियुक्ति समाप्ति की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु।
4. सयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ), जयपुर/जोधपुर।
5. संबधित सयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)।
7. संबधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. संबधित संस्था प्रधान।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।
10. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्पयुटर अनुभाग।

सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

श्री पलजिन्द्र सिंह ढिल्लो व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेड़ापा, जोधपुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 7485/2020 पलजिन्द्र सिंह ढिल्लो एवं अन्य बनाम राज. सरकार एवं अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 7485/2020 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2020 द्वारा याचिकार्थी श्री पलजिन्द्र सिंह ढिल्लो को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार याचिकार्थी से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इसे विभागीय दिशा निर्देशों एवं नियमों के अन्तर्गत संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री पलजिन्द्र सिंह ढिल्लो द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी पत्नी व्याख्याता के पद पर राउमावि सोनड़ी (नोहर) हनुमानगढ़ में कार्यरत होने के आधार पर अपना पदस्थापन अपनी पत्नि के निकट पदस्थापन पर करने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2020 एवं राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। याचिकार्थी पदस्थापित स्थान पर दिनांक 29.06.2017 से कार्यरत है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–3/मौगकृ/अभ्यावेदन/पलजिन्द्र/को.के. 7485/2020/10 दिनांकः 25/02/2021

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner